रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-24072026-274776
SG-DL-E-24072026-274776

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 16, 2026/आषाढ 25, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 117

No. 193] DELHI, THURSDAY, JULY 16, 2026/ASHADHA 25, 1948 [N. C. T. D. No. 117

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 15 जुलाई, 2026

फा. सं. 16 (891)/शह0 विका0/डब्ल्यू/2023/021755469/487.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिल्ली प्रशासन की दिनांक 31.12.2014 की अधिसूचना संख्या 16(422)/शह0वि0/डब्ल्यू/2013/653 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, दिल्ली जल बोर्ड में **'हिन्दी अधिकारी''**के पद की भर्ती पद्धति के विनियमन हेतु दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए निम्नलिखित भर्ती विनियमनों को एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः**– (I) इन विनियमनों को दिल्ली जल बोर्ड में **''हिन्दी अधिकारी''** भर्ती एवं पदोन्नति विनियमन, 2025 कहा जाए।

   (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. अनुप्रयुक्तः–ये संलग्न अनुसूची के कॉलम 01 में निर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तरः**–उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादिः**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. **अयोग्यताः**—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि दिल्ली जल बोर्ड संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

6. **नियमित सेवाः**—किसी ग्रेड के संदर्भ में नियमित सेवा का अर्थ उक्त ग्रेड पर दीर्घकालिक नियुक्ति हेतु चयन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन होने के उपरान्त ग्रेड पर सेवारत रहने की अवधि या अवधियों से हैं और इसमें कोई अवधि या अवधियां शामिल हैं जिसके दौरान किसी अधिकारी को उस ग्रेड के किसी ड्यूटी पद पर बना रहना होगा यदि ऐसा नहीं होता है, तो वह अवकाश पर है या अन्यथा रहने के कारण किसी पद को धारण करने हेतु उपलब्ध नहीं है।

7. **उपबंध शिथिल करने की शक्तिः**—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

8. **बचावः**—इन विनियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**हिन्दी अधिकारी**
2.	**पदों की संख्या**	:	01* (2025) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**पद का वर्गीकरण**	:	समूह—'ख'
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स के स्तर—8 (रुपये 47600—151100/—)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	लागू नहीं
10.	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेशन किया जाना है**	:	**पदोन्नतिः** ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर—7 (44900—142400/—रुपये) में हिन्दी सहायक/अनुवादक तथा दिल्ली जल बोर्ड संस्थान में हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद तथा विलोमतः प्रशिक्षण करना होगा।

टीप–1:–जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

टीप–2:–पदोन्नति हेतु अर्हक सेवा की न्यूनतम गणना के प्रयोजनार्थ, किसी अधिकारी द्वारा दिनांक 01.01.2016 से पूर्व नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा, जिस तिथि से सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित संशोधित वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है, वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर विस्तारित तदनुरूप ग्रेड पे /वेतनमान में प्रदत्त सेवा माना जाएगा।

प्रतिनियुक्तिः–

केन्द्र/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश के अधिकारी

(क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी; अथवा

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–7 में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई ग्रेड में 2 वर्षों की सेवा सहित या समकक्ष ; या

(iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–6 में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई ग्रेड में 5 वर्षों की सेवा सहित या समकक्ष ; तथा

(ख) नियमित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी सहित हिंदी में मास्टर डिग्री;

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी सहित अंग्रेजी में मास्टर डिग्री;

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में अंग्रेजी या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी माध्यम सहित,हिंदी अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भी विषय में मास्टर डिग्री;

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में हिन्दी या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी माध्यम सहित, हिंदी अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भी विषय में मास्टर डिग्री;

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में हिंदी तथा अंग्रेजी सहित हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भी विषय में मास्टर डिग्री अथवा या तो डिग्री स्तर पर इन दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में हो तथा दूसरा अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में हो;

तथा

(ii) हिंदी से अंग्रेजी तथा विलोमतः अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाण–पत्र या भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्र सरकार

			अथवा राज्य सरकार में हिंदी से अंग्रेजी तथा विलोमतः अनुवाद कार्य का तीन वर्षों का अनुभव रखने वाले। भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधिमें केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।) **टीप** : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ, किसी अधिकारी द्वारा दिनांक 01.01.2016 से पूर्व नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा, जिस तिथि से सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित संशोधित वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है, को वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर विस्तारित तदनुरूप ग्रेड पे /वेतनमान में प्रदत्त सेवा माना जाएगा, के अतिरिक्त जहां एक से अधिक पूर्व–संशोधित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड पे/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय हो गया हो और जहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड पे/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है।**	:	**समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण):** 1. सदस्य (प्रशासन) – सदस्य 2. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक) – सदस्य 3. विधि अधिकारी (जल) – सदस्य 4. सहायक आयुक्त (वितरण) – सदस्य सचिव
13.	**वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के

आदेश तथा उनके नाम पर

पुनीत कुमार पटेल, अतिरिक्त सचिव

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 15th July, 2026

F. No. 16 (891)/UD/W/2023/021755469/487.—The following recruitment regulations made by the Delhi Water Board in exercise of the powers conferred by clause (m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) and in supersession of Delhi Administration Notification No. 16 (422) /UD/W/ 2013/653 dated 31.12.2014 except as respects things done or omitted to be done before such supersession for regulating the method of recruitment to the post of 'Hindi Officer' in the Delhi Water Board, are hereby published, namely:–

1. **Short title and commencement:–**(I) These regulations may be called the 'Hindi Officer' in Delhi Jal Board Recruitment and Promotion Regulations, 2025.

   (II) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Application:–**They Shall apply to the post specified in Column No. 1 of the schedule thereto annexed.

3. **Number of posts, classification and Level in the Pay matrix**:–The number of said posts, its classification and Level in the Pay matrix shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications: -**The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualification:─** No person;

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Delhi Water Board may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation for this regulation.

6. **Regular Service: -** "Regular Service" in relation to any grade means the period or periods of service in the grade, rendered after selection in accordance with the prescribed procedure of selection on long terms appointment to that grade and shall include any period or periods during which an officer would have held a duty post in that grade but for his being on leave or otherwise not being available for holding such post.

7. **Power to relax the provisions**: - Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by an order and for reasons to be recorded in writing and consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

8. **Saving**:–Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Class and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of the post	HINDI OFFICER
2.	No. of posts	1(2025) *subject to variation dependent on workload.
3.	Classification	Category B
4.	Level in the pay matrix.	LEVEL – 8 in the pay matrix (Rs.47600-151100).
5.	Whether selection or non-selection post.	SELECTION
6.	Age limit for direct recruits	NOT APPLICABLE
7.	Educational & other qualification required for direct recruits	NOT APPLICABLE
8.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	NOT APPLICABLE
9.	Period of probation, if any.	NOT APPLICABLE
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment, or by promotion/deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	BY PROMOTION FAILING WHICH BY DEPUTATION INCLUDING SHORT-TERM CONTRACT

11	In case of recruitment by promotion/ deputation / absorption, grades from which promotion deputation/ absorption to be made.	**Promotion:** Hindi Assistant/Translator in level-7 (Rs. 44900-142400) in the Pay Matrix with 2 years' regular service in the Grade and have undergone training in translation from Hindi to English and vice versa in the Delhi Jal Board Institute. **Note. 1:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfullycompleted their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibilityservice. **Note. 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2016 the date from which the revised pay structure based on the 7th central pay commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission by an officer prior to 01.01.2016 the date from which the revised pay structure based on the 7th central pay commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission. **Deputation** Officers of the Central/State Governments/Union Territories: -- (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-7 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre/department; or (iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-6 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre/department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: — (i) Master's Degree of a recognized university in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognized university in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level; or Master's Degree of a recognized university in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognized university in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at thedegree level; or master's degree of a recognized university in any subject other than Hindi or English, with Hindi & English as compulsory subjects or either or the two as medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at thedegree level. (ii) recognized diploma or certificate course intranslation from Hindito English and vice versa or three years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in a central or state government office, including govt. of India undertaking. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the central govt. shall ordinarily not to exceed three years. the maximum age limit for appointment bydeputation shall not be

		exceeding 56 yearsas on the closing date of receipt of applications.) **Note**: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2016. the date from which the revised pay structure based on the 7th cpc recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where therehas been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is thenormal replacement grade without any up-gradation.
12	If a DPC exists, what is its composition	CATEGORY ‘B’ DPC(FOR CONFIRMATION) 1. MEMBER (ADMINISTRATION) — CHAIRMAN 2. DIRECTOR(ADMINISTRATION & PERSONNEL) — MEMBER 3. LAW OFFICER (WATER) — MEMBER 4. ASISTANT COMMISSIONER (DISTRIBUTION) — MEMBR SECRETARY
13.	Circumstances in which union public service commission to be consulted in making recruitment.	CONSULTATION WITH UPSC NOT NECESSARY

By Order and in the Name of the Lt. Governor

of the National Capital Territory of Delhi,

PUNEET KUMAR PATEL, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.07.24 16:12:46 +05'30'